

**। कार्यालय, उप वन संरक्षक, टौंस वन प्रभाग, पुरोला (उत्तरकाशी) ।।**

E-mail-dfo tons@yahoo.co.in.phone/fax-01373-223328

पत्रांक 1420/12-1

दिनांक, पुरोला, 3-1-2019।

सेवामें,

अपर प्रमुख वन संरक्षक, एवं नोडल अधिकारी,  
वन संरक्षण इन्दिरा नगर फॉरेस्ट कॉलोनी,  
उत्तराखण्ड देहरादून।

**विषय :-** जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड मोरी के अन्तर्गत सुपिन नदी पर प्रस्तावित 44 मेगावाट क्षमता की जखोल सांकरी जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु 24.317 हे० वन भूमि के सम्बन्ध में।

**सन्दर्भ :-** भारत सरकार की पत्रांक सं०-8बी/यू०सी०पी०/०१/१४६/२०१८/एफ०सी०/१९५० दिनांक १७-१२-२०१८।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि भारत सरकार के सन्दर्भित पत्र सं० से दर्ज आपत्तियों का निराकरण निम्न प्रकार किया जाता है :-

क्र० सं०	ई०डी०एस०क्वैरी	प्रतिउत्तर
1	2	3
6	The density given for Govind Pashu Vihar Division is 0.4 appears to be wrong in view of felling involved i.e. 69 trees/ha.	गोविन्द वन्य जीव विहार से परियोजना निर्माण में 22.067 हे० भूमि प्रभावित हो रही है। उक्त भूमि में 69 वृक्षों का पातन किया जाना है, जिनका घनत्व 0.1 होगा।
7	The NPV calculated for dense forest category for area falls in the Govind Pashu Vihar, Division.	गोविन्द वन्य जीव विहार से परियोजना निर्माण हेतु 22.067 हे० वन भूमि प्रभावित हो रही है, जिसकी देयता एन०पी०वी० की सबसे न्यूनतम दर 6.57 लाख प्रति हे० की दर से मु०-1,44,98,019.00 बनती है।
8	Threr is no tree enumeration provided for Tons division while the density is shown as 0.4 & the NPV is calculated for dense forest.	टौंस वन प्रभाग, पुरोला से खनन हेतु 2.25 हे० वन भूमि प्रभावित होगी, परन्तु कोई वृक्ष प्रभावित न होने के कारण इसका घनत्व शून्य है। जिसकी देयता एन०पी०वी० की सबसे न्यूनतम 6.57 लाख प्र०हे० की दर से मु०-14,78,250.00 होगी।
9	The column after para 13 are not visible in online Part-II.	भाग-2 के पैरा-13 में दर्ज बिन्दुओं को पुनः ठीक कर दिया गया है।

प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जिन आपत्तियों का निराकरण किया जाना था उनको आनलाईन कर दिया गया है तथा हार्ड प्रति संलग्न प्रेषित है।

अतः सूचनार्थ प्रेषित।

संलग्न-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(आर०पी० मिश्रा)

उप निदेशक,

गोविन्द वन्य जीव विहार/राष्ट्रीय पार्क, पुरोला।

भवदीय,

(आर०पी० मिश्रा)

उप वन संरक्षक,

टौंस वन प्रभाग, पुरोला।

प्रारूप-50

जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड मोरी में जखोल-साकरी, जल विद्युत परियोजना के अन्तर्गत वन भूमि के प्रत्यावर्तन हेतु एन0पी0वी0 निर्धारण किए जाने के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र।

एन0पी0वी0 की धनराशि के आंकलन

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के आदेश संख्या-5-3/ 2007-एफ0सी0 दिनांक 05-02-2009 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार आवेदित वन भूमि हेतु एन0पी0वी0 की देयता निम्नानुसार है-

1. इको-क्लास श्रेणी	:- V
2. हरियाली का घनत्व	
(i) गो0व0जी0वि0 / रा0पा0, पुरोला	0.1
(ii) टौन्स वन प्रभाग, पुरोला	0.0
3. एन0पी0वी0की दर प्रति है0	:- 6,57,000.00
4. आवेदित भूमि का क्षेत्रफल	
i. गो0व0जी0वि0 / रा0पा0, पुरोला	:- 22.067 है0 सिविल वन भूमि
ii टौन्स वन प्रभाग, पुरोला	:- 2.25 है0 आरक्षित वन
6. कुल देय एन0पी0वी0 की धनराशि:-	
(i) गो0व0जी0वि0 / रा0पा0, पुरोला	:- 22.067x 6,57,000.00 = 1,44,98,019-00
(ii) टौन्स वन प्रभाग, पुरोला	:- 2.25x 6,57,000.00= 1,47,8250-00
	<b>कुल योग- 1,59,76,269.00</b>

(आर0पी0मिश्रा)  
उप निदेशक,  
गोविन्द वन्य जीव विहार / रा0पा0,  
पुरोला, उत्तरकाशी।  
गोविन्द वन्य जीव विहार/रा0 पा0,  
पुरोला, उत्तरकाशी

(आर0पी0मिश्रा)  
उप वन संरक्षक,  
टौन्स वन प्रभाग, पुरोला,  
उत्तरकाशी